संख्या- 05 /2023/ /001-2653-Char-2022 Supp

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक मांग के अन्तर्गत 02- मजदूरी एवं 49- चिकित्सा व्यय मद में प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1289/उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2022-23 दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में संग्रहालय निदेशालय लखनऊ के 02- मजदूरी मद में रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) एवं 49- चिकित्सा व्यय मद में रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति भी प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वि0ह0 पुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 31/2022/बी-2-325/दस-2022-244/2022 , दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 2205001070300 अधिष्ठान व्यय **मानक मद** 02 मजदूरी (*2*) रुपये 40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 2205001070300 अधिष्ठान व्यय **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 05 /2023/ /001-2653-Char-2022 Supp तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।